



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.33(3)आरबी / 2021 / 2725
दिनांक : 09 मई, 2024

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 889 दिनांक 18.02.2022 के माध्यम से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथासंशोधित) की धारा 11(1) व 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. सुधीर भण्डारी को कार्यभार संभालने की तिथि से पाँच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया था। डॉ. भण्डारी द्वारा अपने पद का कार्यभार दिनांक 04.07.2022 को मध्याह्न पश्चात ग्रहण किया गया।

डॉ. भण्डारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से कुलपति के पद से त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने के अनुरोध पर आदेश क्रमांक 2723 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथासंशोधित) की धारा 11(1) व 11(2) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2005 (यथासंशोधित) की धारा 11(4) व 11(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. धनंजय अग्रवाल, वरिष्ठ आचार्य, नेफ्रोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था (stop-gap arrangement) अंतर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता 0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.33(3)आरबी/2021/2726

दिनांक : 09 मई, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. धनंजय अग्रवाल, वरिष्ठ आचार्य, नेफ्रोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।



सचिव

राज्यपाल, राजस्थान